रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276911
CG-DL-E-07102026-276911

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948
No. 304] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

मामला सं. CVD/OI/004/2026

विषय: इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अलेपित लेखन एवं मुद्रण कागज के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/32/2026-DGTR.—इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे इसमें इसके पश्चात "आवेदक" अथवा "आईपीएमए" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीकृत वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियमावली" अथवा "सब्सिडीरोधी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें इंडोनेशिया (जिसे इसमें इसके पश्चात "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, लेखन, मुद्रण एवं ग्राफिक प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किस्म के वर्जिन काष्ठ लुगदी से निर्मित अलेपित कागज, अछिद्रित पंच कार्ड एवं पंच टेप कागज, जो शीट, रोल, रील अथवा किसी अन्य रूप में हो तथा जिसका जीएसएम

150 तक एवं सहित हो (जिसे इसमें इसके पश्चात "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है), के सब्सिडीकरण का आरोप लगाया गया है।

1. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध देश की सरकार द्वारा, जिसमें उन विभिन्न प्रांतों एवं नगरपालिकाओं की सरकारें, जहां उत्पादक/निर्यातक अवस्थित हैं, तथा अन्य 'सार्वजनिक निकाय' शामिल हैं, विभिन्न स्तरों पर प्रदान की गई अनुयोज्य सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ है। आवेदक ने सार्वजनिक क्षेत्र में यथाउपलब्ध संबंधित कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों एवं सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं पर, तथा उन विभिन्न जांच प्राधिकारियों के निर्धारणों पर विश्वास किया है जिन्होंने ऐसी स्कीमों की जांच की है और प्रतिकार्य सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला है। आवेदक ने आगे यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कथित सब्सिडीकृत विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर सब्सिडीरोधी शुल्क अधिरोपित करने का अनुरोध किया है।

A. विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद लेखन, मुद्रण एवं ग्राफिक प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किस्म के वर्जिन काष्ठ लुगदी से निर्मित अलेपित कागज, अछिद्रित पंच कार्ड एवं पंच टेप कागज है, जो शीट, रोल, रील अथवा किसी अन्य रूप में हो तथा जिसका जीएसएम 150 तक एवं सहित हो। ऐसे कागज (अथवा पेपरबोर्ड) लेपित कागज की तुलना में अपनी अपेक्षाकृत खुरदरी, अधिक सरंध्र एवं अवशोषक बनावट के कारण सूचना के संप्रेषण, दस्तावेज तैयार करने तथा उच्च गुणवत्ता वाली छवि के पुनरुत्पादन हेतु उपयुक्त होते हैं। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा पूर्णतः वर्जिन काष्ठ लुगदी से निर्मित अलेपित लेखन एवं मुद्रण कागज तक सीमित है।

3. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में, अन्य बातों के साथ-साथ, मैपलिथो, वुड-फ्री कागज, मुद्रण कागज, लेखन कागज, ड्राइंग कागज, लिथोग्राफिक कागज, ऑफसेट कागज, डुप्लीकेटिंग कागज, लेखा बही कागज, लिफाफा कागज, नोटबुक कागज, कैलेंडर कागज आदि के रूप में आयातित कोई भी उत्पाद शामिल है।

4. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित को विशेष रूप से बाहर रखा गया है:

a. 150 से अधिक जीएसएम वाला अलेपित कागज अथवा पेपरबोर्ड
b. कट-साइज कॉपियर कागज
c. करेंसी नोट कागज
d. एयरमेल कागज
e. फोटोग्राफिक बेस कागज, अलेपित
f. बैंक एवं चेक कागज
g. स्टाम्प कागज
h. स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन कागज
i. टिश्यू कागज
j. रैपिंग कागज
k. डेकोर कागज
l. फिल्टर कागज

m. फ्लूटिंग कागज

n. वॉलपेपर (दीवारों पर लगाने हेतु)

o. पोस्टर कागज

p. क्राफ्ट कागज

q. पुनर्चक्रित लुगदी अथवा कृषि-अपशिष्ट से निर्मित अलेपित लेखन एवं मुद्रण कागज

r. लेखन एवं मुद्रण से भिन्न अनुप्रयोगों हेतु प्रयुक्त किस्म का फाइन कागज

s. अखबारी कागज

5. कागज अथवा पेपरबोर्ड उत्पाद के जीएसएम के आधार पर विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु उपयुक्त हो सकता है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के सर्वाधिक सामान्य अनुप्रयोगों में लेखन कागज, मुद्रण कागज, स्टेशनरी एवं कार्यालय, प्रकाशन तथा विपणन अथवा पैकेजिंग शामिल हैं।

6. संबद्ध वस्तु सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय 48, शीर्ष 4802 के अंतर्गत वर्गीकृत है। संबद्ध वस्तु का आयात मुख्यतः एचएस कोड 4802 20 90, 4802 54 20, 4802 55 10, 4802 55 90, 4802 56 90, 4802 57 10, 4802 57 90, 4802 61 10 तथा 4802 61 90 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. घरेलू उद्योग ने वर्तमान चरण में कोई पीसीएन प्रस्तावित नहीं किया है। वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद तथा प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हों, पर अपनी टिप्पणियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि(यों) को, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ एवं संबंधित प्रश्नावली(यां) युक्त सूचना पत्र प्रेषित किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

B. समान वस्तु

8. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ सभी दृष्टियों से तुलनीय है, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताएं शामिल हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु की “समान वस्तु” माना जा रहा है।

C. घरेलू उद्योग एवं आधार

9. यह आवेदन आईपीएमए द्वारा दायर किया गया है। आवेदक एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात “आवेदक घरेलू उत्पादक” भी कहा गया है) ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ अपने आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

a. बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

b. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड

10. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है:

a. आंध्र पेपर लिमिटेड

b. सेंचुरी पल्प एंड पेपर

c. जेके पेपर लिमिटेड

d. ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

e. स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड

11. आवेदक घरेलू उत्पादकों एवं समर्थकों के अतिरिक्त भारत में संबद्ध वस्तु के तीन अन्य घरेलू उत्पादक हैं, नामतः आईटीसी लिमिटेड, पुडुमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड तथा सतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

12. आवेदक घरेलू उत्पादक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबंधित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी आवेदक घरेलू उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

13. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा आवेदन की जांच के पश्चात, प्राधिकारी का यह मत है कि जांच की अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन में आवेदक घरेलू उत्पादकों का एक बड़ा अनुपात है तथा वे नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करते हैं, और आवेदन सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 6(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

D. संबद्ध देश

14. वर्तमान आवेदन इंडोनेशिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सब्सिडीकृत आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

E. जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच में जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तथा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि एवं जांच की अवधि शामिल होगी।

F. कथित सब्सिडीकरण का आधार

16. आवेदक ने आरोप लगाया है कि इंडोनेशिया सरकार विभिन्न प्रतिकार्य सब्सिडी कार्यक्रम संचालित करती है। घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि यह दर्शाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध वस्तु के निर्यातकों ने पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधान, कर एवं वैट प्रोत्साहनों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रोत्साहनों, निर्यात प्रोत्साहनों तथा अधिमानी ऋणों के रूप में सब्सिडी प्राप्त की है, जिनसे लाभ प्रदत्त होता है तथा जो इंडोनेशिया में सभी कंपनियों को सामान्यतः उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्राप्त होता है कि नीचे उल्लिखित कार्यक्रम सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपाय संबंधी करार तथा सब्सिडीरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अनुयोज्य सब्सिडी का गठन करते हैं।

17. आवेदक ने आरोप लगाया है कि निम्नलिखित सब्सिडी कार्यक्रम इंडोनेशिया सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं तथा संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों एवं निर्यातकों को इनसे लाभ प्राप्त हुआ हो सकता है:

I. <u>पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम</u>

1. कार्यक्रम सं. 1 – पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर खड़ी इमारती लकड़ी का प्रावधान

2. कार्यक्रम सं. 2 – लट्ठों के निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध

3. कार्यक्रम सं. 3 – पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि का प्रावधान

4. कार्यक्रम सं. 4 – पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विद्युत का प्रावधान

II. कर एवं वैट प्रोत्साहनों के रूप में कार्यक्रम

5. कार्यक्रम सं. 5 – आयकर में कमी

6. कार्यक्रम सं. 6 – आयात शुल्क से छूट

7. कार्यक्रम सं. 7 – कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क से छूट

8. कार्यक्रम सं. 8 – वैट से छूट

9. कार्यक्रम सं. 9 – त्वरित मूल्यह्रास अथवा परिशोधन

10. कार्यक्रम सं. 10 – भूमि एवं भवन कर से राहत

11. कार्यक्रम सं. 11 – कर अवकाश

12. कार्यक्रम सं. 12 – कॉर्पोरेट आयकर में कटौती

13. कार्यक्रम सं. 13 – लाभांश पर आयकर में कमी

III. विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रोत्साहनों का प्रावधान

14. कार्यक्रम सं. 14 – विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं हेतु रियायती कर

15. कार्यक्रम सं. 15 – पूंजीगत वस्तुओं एवं उपकरणों पर आयात शुल्क का आस्थगन

16. कार्यक्रम सं. 16 – निवल कर योग्य आय में कमी

17. कार्यक्रम सं. 17 – राजकोषीय मूल्यह्रास एवं परिशोधन कटौतियों में त्वरण

18. कार्यक्रम सं. 18 – हानियों को आगे ले जाना

19. कार्यक्रम सं. 19 – भूमि कर में कटौती

IV. निर्यात प्रोत्साहनों के रूप में कार्यक्रम

20. कार्यक्रम सं. 20 – इंडोनेशिया एक्ज़िम बैंक द्वारा निर्यात सुविधा हेतु लाभ

21. कार्यक्रम सं. 21 – निर्यात ऋण गारंटी

22. कार्यक्रम सं. 22 – आयात शुल्क वापसी

V. अधिमानी ऋणों के रूप में कार्यक्रम

23. कार्यक्रम सं. 23 – बैंक मंदिरी द्वारा प्रदान किए गए अधिमानी ऋण

18. उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी किसी भी अन्य सब्सिडी की जांच करेंगे जिसका अस्तित्व पाया जाए अथवा जिसका लाभ संबद्ध वस्तु के उत्पादकों एवं निर्यातकों द्वारा क्षति अवधि के दौरान उठाया गया हो।

G. परामर्श

19. सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपाय संबंधी करार (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार, इंडोनेशिया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 22 सितंबर 2026 को जांच शुरुआत-पूर्व परामर्श आयोजित किया गया। इंडोनेशिया सरकार ने अपनी लिखित टिप्पणियां भी प्रस्तुत की हैं। प्राप्त टिप्पणियों को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है तथा प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है, और जांच के दौरान भी उन पर विधिवत विचार किया जाएगा।

H. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से कथित सब्सिडीकृत आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय से प्राप्त सौदेवार आयात आंकड़ों के आधार पर, जांच की अवधि में संबद्ध आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के सापेक्ष, दोनों प्रकार से वृद्धि हुई है, और ये भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों का लगभग दो-तिहाई हैं। संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य क्षति अवधि के दौरान घटा है, क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम रहा है तथा जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी नीचे आ गया है। संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण एवं ह्रास हुआ है, और घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में हुई वृद्धि की वसूली करने में असमर्थ रहा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानि हुई है, उसकी नियोजित पूंजी पर आय में तीव्र गिरावट आई है तथा उसकी मालसूची में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से कथित सब्सिडीकृत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति दर्शाते हैं।

I. जांच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के उत्पादन एवं निर्यात पर प्रतिकार्य सब्सिडी के अस्तित्व, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे कथित सब्सिडीकरण एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करने वाले, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा कथित सब्सिडीकरण के अस्तित्व, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा सब्सिडीरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने हेतु जांच आरंभ करते हैं, जो यदि अधिरोपित की जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने हेतु पर्याप्त होगी।

J. प्रक्रिया

22. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत यथाउल्लिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

K. सूचना का प्रस्तुतीकरण

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंजीकृत करें। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संप्रेषण एवं प्रस्तुतियां सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला आईडी CVD/OI/004/2026 के अंतर्गत अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग सर्चेबल पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो तथा डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

24. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, तथा भारत में संबद्ध वस्तु से जुड़े ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र एवं रीति में सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, सब्सिडीरोधी नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं रीति में दायर की जानी चाहिए।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र एवं रीति में वर्तमान जांच से संगत प्रस्तुतियां कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार से अपेक्षित है कि वह उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

26. हितबद्ध पक्षकारों को आगे निदेश दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना हेतु व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) का नियमित रूप से अवलोकन करें। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे की प्रगति से अवगत रहने हेतु तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं एवं ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं की जानकारी रखने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) का नियमित रूप से अवलोकन करें।

L. समय-सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला आईडी के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ (सीवी) तथा अगोपनीय पाठ (एनसीवी), नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि(यों) को, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ एवं संबंधित प्रश्नावली(यां) युक्त सूचना पत्र प्रेषित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर दायर करें।

29. पीयूसी के दायरे/पीसीएन कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां दायर करने हेतु 15 दिनों की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के उपर्युक्त पैराग्राफ 27 में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

30. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी पश्चातवर्ती सूचना के माध्यम से पीयूसी एवं पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी एवं पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच की शुरुआत के पश्चात पीयूसी एवं पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं

होता है। 15 दिनों के विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से आगे समय के और विस्तार हेतु अनुरोधों पर, नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

31. समय-विस्तार हेतु कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मूल अंतिम तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के पश्चात प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

M. अगोपनीय आधार पर सूचना का प्रस्तुतीकरण

32. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले किसी भी पक्षकार से अपेक्षित है कि वह सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुरूप उसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करे। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

33. प्रश्नावली उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुलग्नकों सहित) करने वाले पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे गोपनीय एवं अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करें। यदि प्रस्तुति अनेक भागों में की जाती है, तो प्रत्येक भाग में सभी भागों/ईमेलों एवं संलग्न दस्तावेजों की विषय-वस्तु दर्शाने वाली एक अनुक्रमणिका तालिका उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है। कृपया सभी प्रस्तुतियों पर पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

34. जहां मूल दस्तावेज अंग्रेजी अथवा हिंदी से भिन्न किसी भाषा में हों, वहां हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ उनका सही अनूदित पाठ उपलब्ध कराया जाए।

35. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर उन्हें स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। ऐसे चिह्नांकन के बिना की गई किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे।

36. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो स्वरूपतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके गोपनीय होने का दावा उसका प्रदाता करता है। जिस सूचना के स्वरूपतः गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके संबंध में सूचना प्रदाता से अपेक्षित है कि वह प्रदत्त सूचना के साथ इस बारे में एक उचित कारण विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना अपेक्षित है, जिसमें गोपनीय सूचना को, जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसके अनुसार, अधिमानतः सूचीकृत अथवा रिक्त (यदि सूचीकरण व्यवहार्य न हो) किया गया हो तथा उसका सारांश दिया गया हो।

38. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार की युक्तिसंगत समझ हो सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार किया जाना संभव नहीं है, और ऐसी स्थिति में सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार, ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

39. हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के विषय पर दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

40. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट होते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध न्यायोचित नहीं है अथवा यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसके सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

41. किसी सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे पर सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार उचित कारण विवरण के बिना की गई किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

42. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार करने पर, प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उसका प्रकटन किसी भी पक्षकार के समक्ष नहीं करेंगे।

N. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

43. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

O. असहयोग

44. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है अथवा अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

Case No. CVD/OI/004/2026

Subject: Initiation of anti-subsidy investigation concerning imports of Uncoated Writing and Printing Paper originating in or exported from Indonesia.

F. No. 6/32/2026-DGTR.—Indian Paper Manufacturers Association (hereinafter also referred to as the "applicant" or "IPMA"), has filed an application on behalf of the domestic industry before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the "Rules" or "Anti-Subsidy Rules"), alleging subsidisation of Uncoated paper made of virgin wood pulp of a kind used for writing, printing, graphic purposes, non-perforated punch card and punch tape paper in sheets, rolls, reels or any other forms having GSM of upto and including 150 (hereinafter also referred to as the "subject goods" or the "product under consideration"), originating in or exported from Indonesia (hereinafter also referred to as the "subject country").

1. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefited from the actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the Governments of different provinces and municipalities in which producers/exporters are located, and other 'Public Bodies'. The applicant has relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations, and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies, as available in the public domain, and on the determinations of various investigating authorities which have conducted investigations of such schemes and concluded the existence of countervailable subsidy programs. The applicant has further alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the imports of alleged subsidized product under consideration originating in or exported from the subject country. Accordingly, the applicant has requested for the imposition of anti-subsidy duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product under consideration in the present investigation is Uncoated paper made of virgin wood pulp of a kind used for writing, printing, graphic purposes, non-perforated punch card and punch tape paper in sheets, rolls, reels or any other forms having GSM of upto and including 150. Such papers (or paperboards) are suitable for communicating information, creating documents, and high quality-image reproduction due to its rougher, more porous, and absorbent texture compared to coated paper. The scope of product under consideration in the present investigation is limited to uncoated writing and printing paper made purely from virgin wood pulp.

3. The scope of product under consideration includes, inter alia, any product imported as maplitho, wood-free paper, printing paper, writing paper, drawing paper, lithographic paper, offset paper, duplicating paper, account book paper, envelope paper, notebook paper, calendar paper, etc.

4. The scope of product under consideration specifically excludes the following:

a. Uncoated Paper or Paperboard with GSM above 150

b. Cut-size copier paper

c. Currency note paper

d. Airmail paper

e. Photographic base paper, uncoated

f. Bank and cheque paper

g. Stamp paper

h. Automatic data processing machine paper

i. Tissue paper

j. Wrapping paper

k. Decor paper

l. Filter paper

m. Fluting paper

n. Wallpaper (for application on walls)

o. Poster Paper

p. Kraft Paper

q. Uncoated writing and printing paper made from recycled pulp or agro-waste

r. Fine paper of a kind used for other than writing and printing application

s. Newsprint

5. The paper or paperboard may be suitable for different applications, depending on the GSM of the product. However, the most common applications of product under consideration include writing paper, printing paper, stationery and office, publications and for marketing or packaging.

6. The subject goods are classified under Chapter 48, heading 4802 Schedule I to the Customs Tariff Act. The subject goods are majorly imported under HS codes 4802 20 90, 4802 54 20, 4802 55 10, 4802 55 90, 4802 56 90, 4802 57 10, 4802 57 90, 4802 61 10, and 4802 61 90. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

7. The domestic industry has not proposed any PCN at the present stage. The interested parties in the present investigation may provide their comments on the product under consideration and the proposed PCNs, if any, within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries.

B. LIKE ARTICLE

8. There is no known difference between the subject goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the product under consideration imported from the subject country in all terms including characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as "like article" to the subject goods imported from the subject country.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

9. The application has been filed by IPMA. The following members of the applicant association (hereinafter also referred to as the "applicant domestic producers") have provided their data for the purpose of the present investigation.

a. Bilt Graphic Paper Products Limited

b. West Coast Paper Mills Limited

10. Further, following domestic producers have supported the present application:

a. Andhra Paper Limited

b. Century Pulp and Paper

c. JK Paper Limited

d. Orient Paper & Industries Limited

e. Star Paper Mills Limited

11. Apart from the applicant domestic producers and supporters there are three other domestic producers of the subject goods in India, namely, ITC Limited, Pudumjee Paper Products Limited and Satia Industries Limited.

12. The applicant domestic producers are not related to exporters of the subject goods in the subject country or importers of the product under consideration in India. Further, none of the applicant domestic producers has imported the product under consideration into India during the period of investigation.

13. In view of the above and after examination of the application, the Authority considers that the applicant domestic producers account for a major proportion of the Indian production during the period of investigation and constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the rules and the application satisfies the requirements of the Rule 6(3) of the Anti-Subsidy Rules.

D. SUBJECT COUNTRY

14. The present application has been filed with respect to subsidized imports of subject goods originating in or exported from the Republic of Indonesia.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

15. The period of investigation in the present investigation is 1st April 2025 to 31st March 2026. The injury investigation period shall cover period 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the period of investigation.

F. BASIS OF ALLEGED SUBSIDISATION

16. The applicant has alleged that the Government of Indonesia maintains various countervailable subsidy programs. The domestic industry has submitted that there is sufficient evidence showing that the exporters of the subject goods have received subsidies in the form of provision of goods and services at less than adequate remuneration, tax and VAT incentives, incentives in Special Economic Zones, export incentives and preferential loans, which confer a benefit and are not generally available to all companies in Indonesia. The information provided by the applicant show sufficient *prima facie* evidence that the below mentioned programs constitute actionable subsidies as per the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and the Anti-Subsidy Rules, 1995.

17. The applicant has alleged that the following subsidy programs are maintained by the Government of Indonesia and that the producers and exporters of the subject goods in the subject country may have benefitted from them:

I. Programs in the Form of Provision of Goods and Services at less than Adequate Remuneration

1. Program No. 1 – Provision of standing timber for less than adequate remuneration
2. Program No. 2 – Government prohibition on exports of logs
3. Program No. 3 – Provision of Land at less than Adequate Remuneration
4. Program No. 4 – Provision of Electricity at less than Adequate Remuneration

II. Programs in the Form of Tax and VAT Incentives

5. Program No. 5 – Reduction of Income Tax
6. Program No. 6 – Exemption of Import Duty
7. Program No. 7 – Exemption of Import Duty on raw materials
8. Program No. 8 – Exemption of VAT
9. Program No. 9 – Accelerated depreciation or amortization
10. Program No. 10 – Relief from Land and Building Tax
11. Program No. 11 – Tax Holiday
12. Program No. 12 – Deduction in corporate income tax
13. Program No. 13 – Reduction on Income Tax on Dividend

III. Provision of Incentives in Special Economic Zones

14. Program No. 14 – Reduced tax for entities in Special Economic Zones
15. Program No. 15 – Postponement of import duty on capital goods and equipment
16. Program No. 16 – Reduction of Net Taxable Income
17. Program No. 17 – Acceleration of fiscal depreciation and amortisation deductions
18. Program No. 18 – Carry forward of losses
19. Program No. 19 – Deduction in Land Tax

IV. Programs in the form of Export Incentives

20. Program No. 20 – Benefits for export facilitation by Indonesia EXIM Bank
21. Program No. 21 – Export credit Guarantees
22. Program No. 22 – Import Duty Drawback

V. Program in the form of Preferential Loans

23. Program No. 23 – Preferential loans provided by Bank Mandiri

18. In addition to the above programs, the Designated Authority will investigate any other subsidies, which may be found to exist or were availed by the producers and exporters of the subject goods, during the injury period.

G. CONSULTATION

19. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM), pre-initiation consultations were held on 22nd September 2026 with the representatives of the Government of Indonesia. The Government of Indonesia has also furnished its written comments. The comments received have been taken on record and have been considered by the Authority, and the same will be duly taken into consideration during the course of the investigation.

H. INJURY AND CAUSAL LINK

20. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The domestic industry has furnished prima facie evidence regarding material injury caused by the alleged subsidised imports from the subject country. On the basis of the transaction-wise import data obtained from the Directorate General of Systems and Data Management, subject imports have increased in the period of investigation in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India, and account for about two-thirds of the total imports of the subject goods into India. The landed price of subject imports has declined over the injury period, has remained below the selling price of the domestic industry in each year of the injury period and has fallen below the cost of sales of the domestic industry in the period of investigation. The decline in the landed price of subject imports has suppressed and depressed the prices of the domestic industry, which has been unable to recover the increase in its cost of sales. As a result, the domestic industry has incurred financial losses in the period of investigation, its return on capital employed has declined steeply and its inventories have increased. Thus, the evidence provided by the applicant, prima facie shows injury to the domestic industry caused by alleged subsidised imports from the subject country.

I. INITIATION OF THE INVESTIGATION

21. On the basis of the duly substantiated written application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged subsidisation and injury, in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the Rules, the Authority hereby initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of alleged subsidisation and to recommend the amount of anti-subsidy duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

22. Principles, as stated under Rule 7 of the Rules, shall be followed in the present investigation.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

23. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID CVD/OI/004/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

24. The known producers/ exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India which are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Anti-Subsidy Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

25. Any other interested party may also make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits set out in this initiation notification, the Rules and the applicable trade notices issued by the Authority. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other parties.

26. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN

methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

L. TIME LIMIT

27. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries 7(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

29. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in paragraph 27 above of this Initiation Notification.

30. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 7(4) of the Rules.

31. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in this notification. Requests submitted after this time will not be considered.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

32. Any party making confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same information in terms of Rule 8(2) of the Anti-Subsidy Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

33. The parties making any submissions (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non- confidential versions separately. In case the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.

34. Where the original documents are in a language other than English or Hindi, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.

35. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

36. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information, preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed.

38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Anti-Subsidy Rules and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

39. The interested parties can offer their comments on the issue of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

41. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement in terms of Rule 8 of the Anti-Subsidy Rules and appropriate trade notices issued by the Authority on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

42. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

43. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

O. NON-COOPERATION

44. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA